



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)


क्र०एफ.४()पट्टा निर्देश/विधि/पंशवि/2016/ ६९२ जयपुर,दि०

०१.७.२०१६

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषय:- “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को पट्टा आवंटन करने बाबत ।

राज्य में “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ! इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर संबंधित को भूमि/पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावे, ताकि योजना सुचारू रूप से क्रियावित की जा सके ।


(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं० राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर ।
3. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।


उप शासन सचिव(विधि)